16-3-2018

Pb (I) P/20 (C)

23 I A with the permission by L.R.D.C. Simdega vide case no. 472/2016-17 order dated 08-8-17

Santosh Ekka 16-3-18

विक्रय पत्र

(1) लेख्यकारी:- संतोष एक्का पिता स्व0 विक्टोर एक्का जाति- उराँव, पेशा- खेतिहारी, निवास ग्राम- गोतरा ठाकुरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, झारखण्ड ।

..... बिक्रेता ।

आधार नं0- 7930 5184 4060

समर्थ-पत्र संख्या:- 99 | 2018

पहचान - पौल खेरकेट्टा
पिता - स्व. इमानुएल खेरकेट्टा
साकिन - सिमडेगा खरवा टोली
थाना - व जिला - सिमडेगा
दि. 16/03/2018

अंचल द्वारा प्रेषित प्रतिबंधित सूची में इस पट्टा का खाता संख्या नहीं है। 27-3-18

27/03/18

§2§ लेख्यधारी:- रैमोन बा: पिता श्री अमरूस बा: जाति- खड़िया, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सिमडेगा खरवाटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा झारखण्ड ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

आधार नं०- 7930 6852 3571

पैन नं० CHHPB 3039A

शपथ-पत्र संख्या:- 100 | 2018

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला बेला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के वास्ते बिक्री होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिग चार लाख बानबे हजार रूपया अंके 4,92,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा ठाकुरटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 262 §दो सौ बासठ§ प्लॉट नं० 5112, §एकावन सौ बारह§ रकबा 0.71 एकड़ में से 0.10½ एकड़ §साढ़े दस डिसमिल§ जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- सुरेन कुल्लू का घरबारी,

दक्षिण:- मेरी मुक्ता टेटे का टांड़ घरबारी,

पूरब :- जोनी इन्दवार का टांड़,

पश्चिम:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10' फीट का कच्चा रास्ता,

मालगुजारी 02 पैसा §दो पैसा§ अलावे सेस सालाना ।

वर्णित बिक्रीत जमीन आवासीय है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय क्षेत्र में पड़ता है ।जो वार्ड नं० 05 में अन्य सड़क पर अवस्थित है ।

जिसका होल्डिंग नं० 0050000069000एम. 0 है ।

ऊपर वर्णित जमीन पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।

Santosh Ekka
16-3-18

Santosh Ekka
27/3/18

राकेश सोरेंग
पिता- स्व. मारसेल सोरेंग
ग्राम- कोलबाहार, करमापुर
थाना- ठाकुरटोली
जिला- सिमडेगा

¥1¥ चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य घरेलू कार्य के लिए रूपयों की आवश्यकता पड़ी और इस समय बिना जमीन बेचे रूपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन को खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

¥2¥ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा वो बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

¥3¥ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन मेरे दखल कब्जा की खतियानी जमीन है जो मुझे भैयादी बँटवारा में मिली है, जो मेरे परदादागण सोमरा उराँव वो पाण्डु उराँव पेशरान सुकरू उराँव वो नरूवा उराँव वो चेपो उराँव पेशरान एतवा उराँव के नाम से विगत सर्वे नाप में कायम है । तथा वर्तमान जमाबन्दी सोमरा उराँव वगैरह के नाम से कायम है जो पंजी ।।, के भोल्युम II, पेज नं० ।।2 में दर्ज है । वर्तमान में हमलोग अपनी-अपनी हिस्से की जमीन पर भैयादी मौखिक बँटवारा के बाद शांतिपूर्वक दखलकार हैं तथा बिक्रीत जमीन पर किसी तरह का कोई विवाद वो वारदेन नहीं है । खतियान के अनुसार बिक्रीत जमीन कायमी है तथा लगान पाने वाले का नाम मनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट मौन जानीब श्री नीवाश हुकुमसिंह देव दर्ज है । सोमरा उरांव के नाम से मालगुजारी कटता है और परदादा है।

Santosh Ekka
16-3-18

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अत: जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 472/2016-17 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 8.8.17 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 617§1§ दिनांक 08.08.2017 है।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर मकान, शहन, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से वो अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

Santosh Ekka 16-3-18

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैसरे हिन्द, खास महल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजरूआ से सम्बन्धित नहीं है।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Santosh Ekka
16-3-18

Santosh Ekka
16-3-18

16-3-2018

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी श्री संतोष एक्का ने अपने बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष किया। By

Pramod Dungdung
Adv
16-3-2018

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

रैमोन मा:
16-3-18

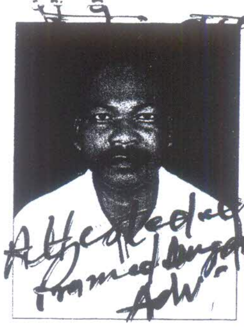

Attested
Pramod Dungdung
Adv
16-3-2018

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी श्री रैमोन मा: ने अपने बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष किया।

By

Pramod Dungdung
Adv
16-3-2018

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Pramod Dungdung Adv.

(प्रारूपकर्त्ता)
तारीख:- 16-3-208

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में मेरे द्वारा टंकित हैं जो खंडन रहित है ।

टंकक

मो० महबूब
16-3-18

मो० महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

Santosh Ekka
16-3-18

अनुलग्नक:-

1. बिक्रेता, क्रेता एवं पहचानी गवाह का आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. परमिशन शेड्यूल का मूल प्रति,
3. परमिशन रिपोर्ट एवं आदेश की सच्ची प्रतिलिपि,
4. खतियान का सत्यापित प्रति,
5. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
6. भिलेज मैप का छायाप्रति,
7. ट्रेस मैप का मूल प्रति,
8. फोर्म नं० 1 का मूल प्रति,
9. होल्डिंग टैक्स की छायाप्रति,